

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

4865. श्री रमेश अवस्थी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री धर्मबीर सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) अनुमानित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा क्या है और निवेश हेतु समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या इस समझौते के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या इस समझौते से देश में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा है और यदि हां, तो कितने रोजगार सृजित किए जाने का अनुमान है और किन-किन क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ङ): भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ने दिनांक 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए।

ईएफटीए वर्ष 1960 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। टीईपीए का उद्देश्य क्रमशः जीएटीटी 1994 और जीएटीएस के अनुसार भारत और ईएफटीए के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना, निवेश के अवसरों को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार के विकास तथा विस्तार में योगदान देना है। टीईपीए के तहत, ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस समझौते से जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें समुद्री खाद्य और समुद्री परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य परिचर्या, वित्तीय सेवाएँ, शिक्षा और दृश्य-श्रव्य सेवाएँ, फार्मास्यूटिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। टीईपीए से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलने और इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” पहल को बढ़ावा मिलने की प्रत्याज्ञा है।
